



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112022-240359
CG-DL-E-17112022-240359

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5122]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 17, 2022/कार्तिक 26, 1944

No. 5122]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 2022/KARTIKA 26, 1944

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली 17 नवम्बर, 2022

का.आ. 5348(अ).—केंद्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वैज्ञानिक अनुसन्धान एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय, पुरातत्त्व की अधिसूचना का.आ. 886, दिनांक 10 अप्रैल, 1961 जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 22 अप्रैल, 1961 के पृ. सं. 856 पर प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है:

“उपर्युक्त राजपत्र में संलग्न अनुसूची में त्रिश्वेश्वर मंदिर के सन्दर्भ में खसरा सं. 229 के स्थान पर खसरा सं. 299 पढ़ा जाये।”

[मि. सं. T-19013/2/2021-स्मा.]

वी. विद्यावती, महानिदेशक

MINISTRY OF CULTURE
(Archaeological Survey of India)
CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th November, 2022

S.O. 5348(E).—In exercise of the powers conferred under section 36 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby makes correction in the notification of Government of India in the Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs, S.O. 886, dated the 10th April, 1961 published at page 856 of the Gazette of India, Part II, Section 3 Sub-section(ii), on 22 April, 1961 as under:

“In the Schedule attached to the said Notification, the Survey Plot No. 229 in respect of Ghrishneshwar Temple may please be read as Survey Plot No. 299.”

[F. No. T-19013/2/2021-M]

V. VIDYAVATHI, Director General